राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 379/2016/जयपुर.

मैसर्स मदन लाल रामेश्वरलाल, जयपुर.

बनाम

सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, सम्भाग–तृतीय, जयपुर.

> <u>खण्डपीठ</u> श्री के. एल. जैन, सदस्य श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोहन लाल सारण, अधिकृत प्रतिनिधिअपीलार्थी की ओर से. श्री आर. के. अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 02/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 438/अपील्स–।/आरवीएटी/एल/जयपुर/2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.12.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, संभाग–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 17.12.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी, जो कि एक ठेकेदारी का कार्य करता है, को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा "Renewal of Internal Roads in Section 13 & 14, Zone-7 area, JDA Jaipur (Phase-I)" राशि रूपये 91,74,614 / – का कार्यादेश दिनांक 05.12.2012 को अवार्ड किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कार्य हेतु एक प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त कार्य हेतु 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता मानते हुए तद्नुसार मुक्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 14.12.2012 को जारी किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01.01.2014 से प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये गये कि व्यवहारी की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आख्यापरक

लगातार......2

.....प्रत्यर्थी.

.....अपीलार्थी.

अपील संख्या - 379/2016/जयपुर.

आदेश पुनः पारित किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिनांक 17.12.2014 को आदेश पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा निष्पादित कार्य को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के बिन्दु संख्या 1 व 2 में कवर होना नहीं मानते हुए बिन्दु संख्या 3 के अनुसार 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता अवधारित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जाने पर, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2015 से अपील अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कथन किया कि उनके द्वारा रोड़ निर्माण का कार्य किया गया है, जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के बिन्दु संख्या 2 से कवर होने के कारण इस पर 1 प्रतिशत की दर से ही मुक्ति शुल्क की देयता बनती है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता का अवधारण किये जाने में एवं इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

 उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को जयपुर विकास प्राधिकारण द्वारा "Renewal of Internal Roads in Section 13 & 14, Zone-7 area, JDA Jaipur (Phase-I)" राशि रूपये 91,74,614 / – का कार्यादेश दिनांक 05.12.2012 को जारी किया गया है। उक्त कार्यादेश से स्पष्ट है कि व्यवहारी को पूर्व में निर्मित सड़क की रिपेयरिंग का कार्य दिया गया है, ना कि किसी नयी सड़क के निर्माण का। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.12.2012 को जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था जो पत्रावली के पेज–2 पर उपलब्ध है, उसमें Description of contract में सजगता के साथ Construction

लगातार......3

-: 2 :--

अपील संख्या - 379/2016/जयपुर.

of Road लिखा गया था जो मिथ्या था क्योंकि work order में Renewal of Road लिखा हुआ था। कर निर्धारण अधिकारी ने work order की जांच कर व्यवहारी को आवंटित कार्य की प्रकृति repair of existing road की पायी जाने पर राज्य सरकार की दिनांक 26.3.2012 की करमुक्ति हेतु जारी अधिसूचना में निश्चित शुल्क 3 प्रतिशत जमा कराने के लिये प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

8. प्रकरण के विधिक विवाद पर निर्णय से पूर्व यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कार्य (Work Contract) करने वाले व्यवहारियों को उनके नियमित कर दायित्व से करमुक्ति (exemption) देने की अधिसूचना प्रथम बार दिनांक 11.08.2006 को जारी की गई जिसमें tax exemption इस शर्त पर दिया गया कि वे ठेकों की पूरी प्राप्ति पर एक निश्चित शुल्क (fees) जमा करायेंगे एवं अधिसूचना में कुछ विशिष्ठ कार्यों के लिये आईटमवाईज अंकन करते हुए 0.25 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत की दर रखी गई एवं अन्य सभी तरह के कार्यों के लिये 3 प्रतिशत का शुल्क रखा गया। दिनांक 11.8.2006 को जारी अधिसूचना में कार्य की प्रकृति के आईटम संख्या 2 में "Relating to Road" अंकित होने से Road से सम्बन्ति सभी कार्यों पर 1 प्रतिशत शुल्क अदा कर करमुक्ति (exemption from tax) लिया जा सकता था जिसमें Repairing of Road का कार्य Relating to Road होने से 1 प्रतिशत की शुल्क दर थी।

9. उक्त अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.3.2012 को संशोधित किया गया एवं "कार्य प्रकृति" में नये अंकन करते हुए Relating to Construction of Road शब्द का प्रयोग किया गया तब यह स्थिति उभरी कि यह कार्य Construction of Road तक सीमित हो गया एवं केवल Road construction पर ही 1 प्रतिशत की दर लागू की गई, जबकि पूर्व में यह Relating to Road होने से वह एक general प्रविष्ठि थी जिसमें Road repairing भी सम्मिलित होती है परन्तु दिनांक 26.3.2012 को यह Construction of Road तक ही सीमित की गई। इसके पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पुनः दिनांक 13.8.2013 को अधिसूचना में संशोधन कर शुल्क दर में "कार्य प्रकृति" अंकित की गई तब आईटम संख्या 3 में Relating to Construction and Repair of Road को सम्मिलित किया गया।

10. उक्त विधिक अधिसूचनाओं के कारण दिनांक 26.3.2012 से दिनांक 13.8.2013 के बीच Repair of Road पर 3 प्रतिशत से ही शुल्क दर निश्चित रही अतः अपीलार्थी को 3 प्रतिशत से शुल्क अदा करने का आदेश देने में कोई गलती नहीं थी। सुलभ संदर्भ के लिये अधिसूचना दिनांक 11.8.2006, 26.3.2012 एवं 13.8.2013 की शुल्क दर सूची को उद्धरित किया जाता है :--

लगातार.....4

-: 3 :--

F.12(63)FD/Tax/2005-80

Dated : 11.08.2006

In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby exempts from payment of tax the registered dealers engaged in execution of works contracts leviable on the transfer of property in goods (Whether as goods or in some other form) involved in the execution of works contract(s) subject to the following conditions, namely:-

- (1) that in case of works contracts,
 - (i) awarded on or after 01.04.2006, the contractor shall apply in form WT-1; and
 - (ii) where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 shall apply for exemption under this notification for the remaining part of the contract as on April 1, 2006, in form WT-2.
- (2) that application **shall be submitted "within 60 days"** from the date of award of the contract or the date of issue of this notification, whichever is later;
- (3) that in case of delayed submission of the application, the assessing authority may, after recording reasons for doing so, condone the delay, on payment of a late fee of rupees one thousand for a year or part thereof. [However, delay in case of second year or part thereof can be condoned on payment of a late fee of rupees five thousand and no application shall be entertained after expiry of two year from the date of the award of the contracts].
- (4) that on receipt of the application under clause (1), the assessing authority on being satisfied as to the correctness of the facts mentioned therein, shall issue exemption certificate in Form WT-3 appended hereto, in the case of works contracts awarded on or after 1.4.2006 and in Form WT-4 appended hereto, in the case of work contracts, where the contractor opted for automatic exemption fee under rule 12 of Rajasthan Sales Tax Rules, 1995 for exemption, for the remaining part of the contract as on 01-04-2006. A copy thereof, shall be sent to the awarder.
- (5) that such contractor shall pay exemption fee at the rate specified in Column 3 of the list given below in the following manner :-
 - (i) where an awarder is a Department of any Government, a Corporation, a public undertaking, a co-operative society, a local body, a statutory body, an autonomous body, a trust or a private or public limited company, an amount calculated at the rate as specified in column no.3 of the list given below shall be deducted by such awarder from each bill of payment to be made in any manner to such contactor and all the provisions of payment of tax

लगातार......5

-: 4 :--

provided in the Act or the rules made there under for contractors shall *mutatis mutandis* apply. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder before filing application, he shall enclose proof of payment/deduction of notified exemption fee on such payments, along with interest, if any, up to the date of filling of application, under this notification;

- (ii) where the awarder is not covered under sub-clause (i) above, the contractor shall be required to make payment of exemption fee in equal monthly installments in a period not exceeding the period of contract from the date of filing of application. In case the contractor has already received some payments for execution of works contract from the awarder, he shall enclose proof of payment of notified exemption fee on such payment along with interest up to the date of filing of application, under this a notification;
- (iii) the amount already deducted by the awarder in lieu of tax from bills of payments to the dealer before the issuance of this notification shall be adjusted against the exemption fee;
- (6) that the contractor shall not be entitled to claim input tax credit in respect of the goods used in excution of the works contract for which exemption certificate has been granted;
- (7) that the certificate of exemption shall be liable to be cancelled by the assessing authority retrospectively if it is found that the same has been issued under contravention of the provisions of the Act, rules or notifications; and
- (8) that the tax collected or charged, if any, by such dealer before the issue of this notification shall be deposited, to the State Government and tax so deposited shall not be refunded or adjusted against the exemption fee.

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contracts relating to dyeing, printing, processing and similar activities.	0.25 %
2.	Works contracts relating to buildings, roads, bridges, dams, canals, sewerages system.	1.50 %
3.	works contract relating to installation of plants & machinery including PSPO, water treatment plant, laying pipeline with material.	2.25 %
4.	Any other kind of works contract not covered by item No.1, 2 and 3.	3.00 %

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006.

लगातार......6

F.12(15)FD/Tax/12-114

Dated : 26.03.2012

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of . the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in this Department's notification No. F.12(63)FD/Tax/2005-80, dated 11-08-2006 (as amended from time to time), with effect from 01.04.2012, namely :-

AMENDMENT

The existing list given in the said notification shall be substituted by the following, namely :-

	LISI	
Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	Works contract where the cost of material does not exceed five percent of the total contract amount.	0.25
2.	Works contract relating to EPC Turnkey power projects awarded by Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited. Works contract relating to Construction of roads, runways, bridges, dams, drains, tunnels, channels, barrages, diversion, railway tracks, causeways, sub-ways, spillways, boundary walls and water harvestinig structures.	1.00
3.	Any other kind of works contract not covered by item No.1 and 2.	3.00

11. उक्त अधिसूचना के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(101)एफडी / टैक्स / 2011—59 दिनांक 13.08.2013 जारी करते हुए रोड़ निर्माण के साथ रोड़ रिपेयरिंग को भी सम्मिलित करते हुए 1 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। अधिसूचना दिनांक 13.8.2013 की सूची का कॉलम संख्या 3 निम्न प्रकार है :—

Г	C	т	1	
L	0	1		

Item No.	Description of work contract	Rate of exemption fee (% of the total value of the contract)
1	2	3
3.	Works contract relating to Construction and Repair of roads.	1.00

लगातार......7

-: 6 :--

अपील संख्या - 379/2016/जयपुर.

-: 7 :--

12. उक्त अधिसूचनाओं से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचनाओं में विशिष्ठ रूप से अंकित कार्यों के लिये शुल्क की दर के अलावा अन्य सभी कार्यों के लिये 3 प्रतिशत शुल्क रखा गया है अतः कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 26.3.2012 के पश्चात् एवं 13.8.2013 के पूर्व के repairing कार्य के 3 प्रतिशत की शुल्क के साथ प्रमाण-पत्र जारी करने में कोई भूल नहीं की है, अतः कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

13. यह टिप्पणी करना भी उचित होगा कि किसी भी व्यवहारी द्वारा कर से मुक्ति (exemption from tax) प्राप्त करने के मामलों में विधिक प्रावधान एवं अधिसूचना की अक्षरशः पालना करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिटीमैक्स होटल (इण्डिया) प्रा0 लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर 43 टैक्स अपडेट 61 निर्णय दिनांक 01.05.2015 में निम्न टिप्पणी की गयी है :--

A constitution bench of the Supreme Court in Commissioner "21. of Central Excise Vs. Hari Chand Shri Gopal - (2011) 1 SCC 236, while revisiting previous judgments on the subject, held that a . provision providing for an exemption, concession or exception, as the case may be, has to be construed strictly with certain exceptions depending upon the setting on which the provision has been placed in the Statute and the object and purpose to be achieved. If exemption is available on complying with certain conditions, the conditions have to be complied with. That decision has been followed in a recent judgment of the Supreme Court in Indian Oil Corporation Limited Vs. Commissioner of Central Excise, Vadodara - (2012) 5 SCC 574, holding that exemption notification relied therein, required that for availing such exemptions two conditions must be satisfied. Unless both the conditions stipulated in the notification are complied with, the appellant was not entitled to exemption.

22. In Novopan India Limited, Hyderabad Vs. Collector of Central Excise and Customs, Hyderabad – 1994 Supp (3) SCC 4 606, the Supreme Court held that in case of ambiguity, a taxing statute should be construed in favour of the assessee -assuming that the said principle is good and sound -does not apply to the construction of an exception or an exempting provision; they have to be construed strictly. A person invoking an exception or an exemption provision to relieve him of the tax liability must establish clearly that he is covered by the said provision. In case of doubt or ambiguity, benefit of it must go to the Revenue."

लगातार......8

अपील संख्या – 379/2016/जयपुर.

उपरोक्त अधिसूचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 26.03.2012 14. 'से दिनांक 13.08.2013 के मध्य निष्पादित सड़क निर्माण के कार्यों पर कर से मुक्ति (exemption from tax) प्राप्त करने के लिये 1 प्रतिशत की दर से पूर्ण प्राप्तियों की राशि पर मुक्ति शुल्क की देयता थी एवं इस आईटम में Repairing of Road कार्य सम्मिलित नहीं था। अतः रोड़ रिपेयरिंग की कार्य संविदा अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के बिन्दु संख्या 3 से कवर होने के कारण इन पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति की शुल्क की देयता थी। अपीलार्थी व्यवहारी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.12.2012 को कार्यादेश दिया गया एवं उक्त कार्य दिनांक 11.04.2013 तक निष्पादित किया जाना था ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का प्रकरण अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 के बिन्दु संख्या 3 से कवर होने एवं दिनांक 13.8.2013 की अधिसूचना के पूर्व का होने के कारण इस पर 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता बनती है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में रोड़ रिपेयरिंग पर मुक्ति शुल्क की दर 1 प्रतिशत निश्चित नहीं की गई थी। यह बिन्दू इससे और स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.8.2013 को पुनः नई अधिसूचना जारी की गई थी उसमें Construction and Repair of Road को सम्मिलित किया गया अर्थात् इससे पूर्व Repairing of Road के कार्य पर करमुक्ति प्राप्त करने हेतु सामान्य शुल्क दंर 3 प्रतिशत ही देय थी। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की । पुष्टि की जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

15. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश दिनांक 08.12.2015 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय, सुनाया गया। 16.

मक्सललाल) सदस्म

(के. एल. जैन) सदस्य